स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम

कोच्ची-682025

संदर्भ: क्यू ई एल - पी यू आर /एफ़ला / इम्म्यूणोकॉलम्स/2018 **दिनांक : 06-04-2018**

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अनुबंध-1 में दिए अनुसार निश्चित तकनीकी विनिर्देशों व अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप कोच्ची/चेन्नई/मुंबई/तूतिकोरिन/दिल्ली/गुंटूर/काण्डला आदि स्थानों पर स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं केलिए प्रतिरक्षा युयुक्षा कॉलम (इम्म्युणो एफ़िनिटी कॉलम्स) एवं उसके उपसाधन की आपूर्ति हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

इस आम निविदा सूचना के तहत प्रस्तुत की जानेवाली निविदाएँ नीचे दिए गए निबंधनों व शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक निविदा के साथ इस निविदा सूचना के प्रत्येक पृष्ठों पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न होना चाहिए, जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

निबंधन व शर्तें

क) बोलीदाता केलिए निर्देश

- निविदाओं की डेलीवरी**:** निविदा स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा नामित पते पर प्रस्तुत की जाएगी ताकि अंतिम तारीख और समय से पहले हमारे कार्यालय तक पहुँच जाएँ। विवरण नीचे **खंड ख** में उल्लिखित हैं।
- निविदाओं को खोलना**:** प्रस्तावों/बोलियों को निर्धारित स्थान, तारीख व समय पर ऐसे निविदाकारों या उपस्थित होने केलिए उनके द्वारा चयनित उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस कार्य केलिए गठित की गई समिति द्वारा खोला जाएगा।
- निविदा खोलने के दिन उसमें भाग लेने केलिए प्रतिभागी बोलीदाताओं को अपनी कंपनियों से एक प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निविदा खोलते समय **प्रत्येक निविदाकार के केवल एक प्रतिनिधि को ही** उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- निविदाओं का तिरस्कार**:** स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं का तिरस्कार करने का अधिकार रखता है।
- सुपुर्दगी के निबंधन**:** नीचे बताए निबंधन व शर्तों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, कोट किए गए उपकरण(णों) तथा सभी उपसाधनों और सहायक उपकरणों की आपूर्ति की जानी चाहिए, और उनकी स्थापना/चालू करने का कार्य (यदि कोई हो तो) पूरा होना चाहिए। निविदा के साथ निबंधन व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके बिना निविदा को अननुपालक माना जाएगा।
- आपूर्ति का स्थान**:** मदों को, बोर्ड द्वारा ज़ारी क्रय आदेश में बताए अनुसार, कोच्ची/चेन्नई/मुंबई/तूतिकोरिन/दिल्ली/गुंटूर/काण्डला आदि स्थानों पर स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में वितरित व स्थापित करना होगा।

सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची-25

(ख) निविदा के निबंधन व शर्तें

भारत सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल(https://eprocure.gov.in/epublish/app) या स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट www.indianspices.com में प्रकाशित निविदा से डाउन्लोड किए निर्धारित निविदा-दस्तावेज़ में ही निविदा प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रस्तुत की जानेवाली निविदाओं को नीचे विनिर्दिष्ट अनुदेशों का सख्त अनुपालन करना चाहिए, इसमें कोई चूक होने पर निविदाओं को अपूर्ण समझा जाएगा और उसका निराकरण भी किया जा सकता है।

निम्नलिखित पते पर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **7 मई, 2018 को सायं 5.00** बजे तक होगी:

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन एच बाई पास
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची, केरल-682 025
फोन : 0484-2333610-616(एक्स्टेंशन-329)

निविदा को नीचे के खंड में बताए अनुसार सही रूप से लेबल लगाए मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए। नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर, चाहे किसी भी कारणवश हो, विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा **8 मई, 2018 को सुबह 10.00 बजे ऊपर बताए गए पते पर** खोली जाएगी। प्रत्येक निविदाकार के केवल एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही निविदा के खोलने के समय उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

बोलियों की प्रस्तुति केलिए निदेश:

1. बोली में वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों के साथ सभी तकनीकी विवरण शामिल होने चाहिए ।

2. दो-बोली प्रणाली तरीका अपनाई जाएगी, अर्थात्, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । निश्चित तिथि को, पहले तकनीकी निविदा को ही खोला जाएगा। तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन करनेवाली निविदाओं की वित्तीय बोलियों को ही बाद की तिथि में खोला जाएगा।

3. प्रत्येक उपकरण केलिए, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों, उचित रूप से अंकित करके अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होनी चाहिए। दोनों बोलियों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में डाल दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर "**स्पाइसेस बोर्ड निविदा-[प्रतिरक्षा युयुक्षा कॉलम (इम्म्युणो एफ़िनिटी कॉलम्स):2018]: तकनीकी और वित्तीय बोलियां**" लिखा जाना चाहिए।

4. कृपया अनुबंध-1 का हवाला लें। अनुबंधों के तीन खंड हैं : (i) खंड I- निविदाकार का विवरण (ii) खंड II- उपकरण के लिए अनुपालनार्थ तकनीकी विनिर्देश (iii) खंड III - वित्तीय बोली का सारांश
5. **तकनीकी बोली** में निम्नलिखित दस्तावेज़ होनी चाहिए:
   - उपयुक्त अनुबंध में दिए गए प्रत्येक उपकरण के विनिर्देशों के खंड I में भरे हुए निविदा संबंधी विवरण

- प्रत्येक उपकरण के विनिर्देशों में दिए गए खंड II में भरे हुए तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन । खंड II में तकनीकी विनिर्देश के प्रत्येक मुद्दे के सामने कोट किए गए उपकरण का अनुपालन *जी हाँ/ जी नहीं* के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। **यदि इस अनुपालन वक्तव्य को तकनीकी बोली में शामिल नहीं किया गया है, तो बोली अस्वीकार मानी जाएगी।**
- विनिर्देशों में अपेक्षित उपकरण-निष्पादन के सभी दावों को पर्याप्त उपकरण-रीड़आउट और डेटा द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इन्हें अपेक्षित व्याख्यात्मक नोटों के साथ हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक उपकरण के विनिर्देशों में दिए अनुसार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कंपनी के मोहर तथा सभी अपेक्षित संपर्क विवरण सहित हस्ताक्षर किया गया **बोलीदाता का घोषणापत्र**
- कोट किए गए मॉडल से संबन्धित किसी तकनीकी साहित्य, ब्रोशर, विनिर्देश शीटें आदि को अनिवार्यत: शामिल किया जाना चाहिए।
- निविदा में सूचित किए अनुसार कोट किए गए मॉडल के, भारत में न्यूनतम संख्या में **उपयोक्ता** होने चाहिए, इसके बिना निविदा को अयोग्य माना जाएगा। इन उपयोक्ताओं की सूची, संपर्क व्यक्ति, पता, टेलीफोन, मोबाइल और इ-मेइल संबंधी पूरा विवरण तालिका के रूप में दिया जाना चाहिए।
- तकनीकी विनिर्देश में अपेक्षित अनुसार वारंटी के अधीनस्थ सभी मदों की सूची के साथ वारंटी संबंधी पूरी सूचना दी जानी चाहिए।

6. **वित्तीय बोली :** निविदा का वित्तीय विवरण भाग III में संक्षिप्त रूप में तालिका में दिया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा को अपूर्ण माना जाएगा और अस्वीकार किया जाएगा। कोई अतिरिक्त विवरण है तो अलग दस्तावेज़ के रूप में दिया जा सकता है।
7. अपर्याप्त सूचना /दित्ता के साथ या किसी भी मुद्दे पर निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करने वाली अपूर्ण निविदाओं का निरसन किया जाएगा।
8. **ई एम डी :** ई एम डी तकनीकी बोली के साथ मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
   - निविदाकार द्वारा, 3,00,000/- रु. (केवल तीन लाख रुपए मात्र) के ई एम डी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से "Secretary, Spices Board" के नाम पर लिए " कोच्ची में देय" तीन महीनों तक विधिमान्य डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
   - ई एम डी के रूप में बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।
   - ई एम ड़ी के बिना तकनीकी बोली **अप्रतिसंवेदी** मानी जाएगी और यदि निविदाकार के किसी भी वर्ग को विशेष रूप से ईएमडी के भुगतान से सरकार द्वारा छूट दी गई है जिसके लिए कारण और सबूत संलग्न किया जाना है।
   - संविदा प्रदान करने के बाद असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के, ई एम डी वापिस की जाएगी।
9. क्रय आदेश केलिए सहमति - **ई एम डी की ज़ब्ती** : अगर निविदाकार अपनी निविदा वापस लेता है या स्वीकृति के बाद पीछे हटता है या निष्पादन जमानत जमा न कर पाता है या निविदा सूचना में निर्धारित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है या वैध अवधि के दौरान कोट किए गए निबंधनों में से किसी का संशोधन करता है तो, ई एम डी ज़ब्त की जाएगी।
10. उपकरणों की सीमा-शुल्क निकासी :आयातित उपकरणों केलिए सीमाशुल्क निकासी शुल्क, यदि कोई है तो, बोलीदाता द्वारा वहन किया जाना है और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा केवल मदों की निकासी के समर्थक कागजात ही प्रस्तुत

किए जाएंगे। उपकरण की निकासी, सुपुर्दगी और बोर्ड की प्रयोगशाला में उसकी स्थापना की व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी।

11. यदि कोई भारतीय एजेंट शामिल है, तो निम्नलिखित कागजात ज़रूर संलग्न करना है:

- (यदि लागू है तो,)भारतीय एजेंट को देय कमीशन और भारतीय एजेंट द्वारा प्रदान की जानेवाली क्रयोपरांत-सेवा की प्रकृति को सूचित करनेवाले विदेशी प्रमुख का प्राधिकार सूचित करनेवाला पत्र
- विदेशी प्रमुख के साथ एजेंसी के करार की प्रति और उनके बीच का वास्तविक संबंध और व्यापार में उनके पारस्परिक हित
- वित्त मंत्रालय की अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत आपूर्ति व निपटान महानिदेशक के साथ भारतीय एजेंट की भर्ती सूचीयन

12. विपणि में उपलब्ध और अधिकाधिक उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई मशीन केलिए ही प्रस्ताव/बोली भेजी जाएँ। भारत के उपभोक्ताओं की सविस्तृत सूची निविदाओं के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

13. निविदा के साथ प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित, कोट किए मॉडल का मूल सूचीपत्र(फोटोकोपी नहीं) अनिवार्यत: संलग्न होना चाहिए ।

14. **कोट किए गए उपकरण नमूने के निष्पादन दित्ते केलिए** यदि तकनीकी विनिर्देशन की मांग की जाय तो उसकी संपूर्ण जानकारी एक पुस्तिका के रूप में तत्काल संदर्भ हेतु प्रदान की जानी चाहिए। सामान्यीकृत अनुप्रयोग नोटों या अनुसंधान पर्चों को निष्पादन के प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनसे उस उपकरण की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं हो पाता है।

15. सुपुर्दगी का समयक्रम: बोलीदाता द्वारा, उपकरण की सुपुर्दगी केलिए अपेक्षित समय स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। वितरण के समयक्रम में किसी विचलन के मामले में, आपूर्ति-समय में हुई देरी केलिए निविदा मूल्य के 0.5% या उसका एक भाग प्रति सप्ताह की दर में, अधिकतम 5%, की निर्णीत हरजाना के तौर पर जुर्माना लगाई जा सकती है।

16. जोखिम खरीद खंड: निर्धारित वितरण-समयक्रम के भीतर मद/उपकरण की आपूर्ति न होने के मामले में बोर्ड जोखिम खरीद खंड के अधीन आपूर्तिकर्ता के पूर्ण जोखिम पर ही अन्य स्रोतों से मद/उपकरण खरीदने का अधिकार रखता है।

17. भुगतान: भारत में निर्मित मदों केलिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। स्थापना करने हेतु सहमत हुए स्थान पर, संतोषजनक स्थापना के बाद ही भुगतान किया जाएगा। आयातित उपकरण के मामले में, खरीद के अंतिम रूप देने के दौरान स्पाइसेस बोर्ड और निविदाकार के बीच तय किए निबंधन व शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

18. वारंटी / गारंटी : (जैसे लागू हो) प्रत्येक उपकरण केलिए विनिर्देशों के भाग II में दिए अनुसार उपकरण के निर्बाध एवं निरंतर कार्यकरण केलिए सभी आवश्यक पुर्जे / सहायक उपकरण व उपभोज्य सामग्री सहित वारंटी के निबंधन प्रस्ताव में स्पष्टत: विनिर्दिष्ट होने चाहिए।

19. उपयोक्ताओं की सूची: प्रत्येक उपकरण के विनिर्देश में दिए अनुसार उपयोक्ताओं की एक विस्तृत सूची प्रस्ताव के साथ शामिल की जानी चाहिए।

20. देरी से प्राप्त प्रस्ताव: नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. स्वीकृति और निरसन : स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी निविदा को या प्रस्तुत किए गए परिमाण को पूर्णत: या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए उसको पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार रखता है।

22. विवाद और अधिकार-क्षेत्र: इस निविदा से संबन्धित किसी संविदा-भंग से उत्पन्न किसी भी न्यायिक विवाद का निपटान एरणाकुलम, कोच्ची शहर में स्थित सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले अदालत में ही किया जाएगा।
23. बोली सुरक्षित रखने की घोषणा - यदि बोली वापस ले ली गई या बदल दी गई है, तो बोर्ड, एक वर्ष तक की अवधि के लिए बोलीदाता के साथ व्यापार लेनदेन को निलंबित करने का अधिकार रखता है।

ग. निविदा के अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

1. बोली निविदा की तारीख से 18 महीनो की अवधि केलिए वैध रहेगी, और इस अवधि केलिए प्रत्येक मद हेतु दी गई दर बनी रहनी चाहिए।
2. मसाले बोर्ड, उन वस्तुओं की कुल मात्रा में, भविष्य में उभरनेवाली अपेक्षाओं के अनुसार, निविदा में आवश्यकता के 30% तक, एक ही कीमत पर और उसी निविदा शर्तों के साथ, परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसके लिए क्रय आदेश जारी किए जाएंगे।
3. मदों को आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर ही भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित हमारी प्रयोगशालाओं में आदेश के अनुसार आपूर्ति की जानी चाहिए।
4. क्रय आदेश के खिलाफ अपेक्षाओं के मुताबिक समस्त आपूर्ति की जानी चाहिए
5. क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान आपूर्ति न किए जाने पर आदेश रद्द किया जाएगा
6. आपूर्ति की गई मद की गुणवत्ता निविदा की अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न होने पर तिरस्कार किया जाएगा और बाद में इसीप्रकार की समान घटना होने पर आपूर्तिकर्ताओं की सूची से निकाल दिया जाएगा।
7. प्रतिरक्षा युयुक्षा कालम (इम्म्युणो एफ़िनिटी कॉलम्स) एवं उसके उपसाधन केलिए बोली लगाई गई दर में सभी कर और अन्य सभी शुल्क, यदि कोई है तो, भी शामिल होना चाहिए।
8. आपूर्ति की गई मदों का भुगतान, बोर्ड के संबंधित प्रयोगशालाओं में प्रत्येक क्रय आदेशों के पूरे मदों की प्राप्ति अच्छी स्थिति में प्राप्त होने पर किया जाएगा।
9. निविदा में प्रस्तावित इम्यूनोएफ़िनिटी कॉलम का नाम, ब्रैंड नाम, आपूर्ति की शर्तों और न्यूनतम वितरण अवधि होने चाहिए।
10. निविदा, निम्नतम दर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रति कालम केलिए लागत, फ़िल्टर कागज़ातों के प्रति पैकेट की लागत, बोली लगाई गई अन्य सभी उपसाधनों की लागत, कर, भाडा एवं बीमा और कोई अन्य शुल्क को मद में शामिल और कोट किया जाना चाहिए ।
11. स्पष्टीकरण यदि कोई है तो sbqel@indianspices.com और qelpurchase.sb-ker@gov.in में इ-मेइल भेजकर मालूम किया जा सकता है।
12. स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी चरण पर निविदा को पूर्णत: या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए उसको पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार रखता है।

निविदाकार द्वारा अभिस्वीकृति

यह अभिस्वीकृत किया जाता है कि हमने उपरोक्त सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ा है और हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

कंपनी का मोहर

तारीख